यह माना गया है कि पिछले दो वर्षों के दौरान औसत बैंक ऋण के संबंध में मांगी गई और सूचना बैंकों द्वारा समग्र रूप से देश में प्रदान की गई प्रति व्यक्ति ऋण राशि के संबंध में है। 1991 की जनगणना के आधार पर 1992 और 1993 के के लिए ये आंकड़े क्रमशः 1684 रुपए और 1964 रुपए हैं।

ऋण जमा अनुपात में समयबद्ध सुधार करने हेतु सिफारिशें करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त, 1992 में उत्तर प्रदेश में ऋण जमा अनुपात समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि कृषि को ऋण देने के लिए अपेक्षित आधारभूत समर्थन पूर्ण रूप से विकसित है और इसके परिणामस्वरूप यह क्षेत्र अपनी पूर्ण संभाव्यता तक ऋण खपाने की स्थिति में है। लेकिन उद्योग के लिए यह सही नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ऋण जमा अनुपात में समग्र सुधार धीरे-धीरे और अनियमित है। तदनुसार समिति ने सिफारिश की कि सरकार और बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे आधारभूत सुविधाओं, विकास संयोजनों और ऋण वितरण के प्रावधानों में हस्तक्षेप करें और अपने प्रयासों में काफी तेजी लायें।

Opening of more Regional Rural Banks in U.P.

4417. SHRI ISH DUTT YADAV : Will he Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to open more Regional Rural Banks in Uttar Pradesh during the current financial year : and

(b) if so, what are the details thereof including the details of the districts of U.P. where they are likely to be opened ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कर्जदारों द्वारा बैंक ऋण का दुरुपयोग

4418. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्जदारों द्वारा बैंक ऋणों के दुरुपयोग के मामले बैंकों के सामने आये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले दो वर्षों के संबंध में बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि ऋण के दुरुपयोग के मामलों में चूककर्ता अधिकारी के खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो पिछले दो वर्षों के दौरान की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके निरीक्षणों से बैंकों के ऋण प्रबंधन की कमियों का पता चलता है। इन कमियों में, कुछ ऋणकर्ताओं द्वारा, मंजूर किए गए ऋण का अपेक्षित प्रयोजन के बजाय इसके प्रयोजन के लिए प्रयोग कर ऋण का दुरुपयोग करना शामिल है।

(ख) ऐसी कमियों के संबंध में पिछले दो वर्षों के लिए बैंक-वार ब्यौरे के संकलन में आवश्यक प्रयास समय खपाने वाले होंगे और प्राप्त होने वाले परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे।

(ग) और (घ) यदि बैंकों द्वारा मंजूर किए गए ऋण का दुरुपयोग किए जाने के बारे में बैंक का अधिकारी किसी ऋणकर्ता के साथ शामिल होने या उसके साथ सांठ-गांठ में शामिल हुआ पाया जाता है तो स्थापित नियमों के अनुसार संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अलग-अलग बैंकों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

उत्तर प्रदेश में किसानों को बैंक ऋण

4419. **चौधरी हर मोहन सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 और जनवरी, 1994 तक की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में किसानों को विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण के रूप में कुल कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने लाभग्राही किसानों को ऋण दिया गया है;

(ग) कितने किसानों को उनके आवेदन करने के क्रमशः एक, दो और तीन महीनों की अवधि के भीतर ऋण उपलब्ध करा दिये गये हैं;

(घ) क्या किसानों को समय पर ऋण मिलने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(छ) यदि हाँ, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?